

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2015-16/विशेष छूट/लीज/89/270 दिनांक : 13/2/16


-:: कार्यालय आदेश ::-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.5(3)नवि/3/99पार्ट दिनांक 09.02.2016 की अनुपालना में बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है :-

1. पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी।
2. पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिए समस्त वर्षों के लिए एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।


यह छूट दिनांक 31.03.2016 तक राशि जमा कराये जाने पर ही उपलब्ध होगी। उक्त योजना का लाभ अधिकाधिक को प्रदान किये जाने हेतु व्यापाक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ लीज राशि वसूली हेतु शिविर भी लगाये जाने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।


उप-वित्तीय सलाहकार